भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 294*

17 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक औषधियों की विनिर्माण इकाइयां

*294. श्री सुनील कुमार:
श्री जुएल ओराम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कीमती और दुर्लभ पौधों से औषधियों का उत्पादन करने के लिए देशभर में कितनी विनिर्माण इकाइयां हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में स्थान के चयन से संबंधित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या नेपाल के तराई क्षेत्र के समीप बिहार के वाल्मीकि नगर, जो एक वनाच्छादित क्षेत्र है, में कोई उत्पादन इकाई स्थापित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन के लिए गत वर्ष के दौरान कितनी नई इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ङ) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन विनिर्माण इकाईयों की स्थापना की गई है; और

(च) देशभर में आयुर्वेदिक औषधियों की विनिर्माण इकाइयों में कितने व्यक्ति नियोजित हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 17 दिसम्बर, 2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 294* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): 1.4.2019 की स्थिति के अनुसार, लगभग 8407 आयुष लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से 7345 (आयुर्वेद), 151 (सिद्ध), 566 (यूनानी) और 345 (होम्योपैथी) विनिर्माता आयुष उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। **विवरण संलग्नक-1 में है।** आयुष उत्पादन इकाइयों के लिए स्थान और परिसर हेतु मानदंड तथा अन्य जरूरतें, औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न के तहत विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(ख) और (ग): आयुष मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति आयुष औषधियों की उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहता है तो उसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

(घ) और (ङ): आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पिछले एक वर्ष में (1.4.2020 से 31.3.2021 तक) 593 नई कंपनियों की स्थापना की सूचना दी है। विवरण **संलग्नक-2** में है।

(च): अधिकांश विनिर्माण इकाइयां निजी प्रबंधन के अधीन हैं और कुछ राज्य सरकार के प्रबंधन के अधीन हैं। औषधि नियमावली, 1945 के नियम 157 में आयुर्वेदिक विनिर्माण इकाइयों में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट किया गया है। केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में तीन उत्पादन इकाइयां काम कर रही हैं, नामत: इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल), मोहान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, जो आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तत्वावधान में है। आईएमपीसीएल में 456 कर्मचारी हैं (नियमित और संविदात्मक कर्मचारियों सहित), केएपीएल में 681 कर्मचारी हैं (नियमित और संविदात्मक कर्मचारियों सहित) और गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल), जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख फार्मा कंपनी है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाली एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की सहायक कंपनी है, में 25 कार्यकारी और 150 गैर-कार्यकारी कर्मचारी हैं।

*****

संलग्नक-1

01.04.2019 की स्थिति के अनुसार आयुष के तहत लाइसेंस-प्राप्त फार्मेसियों की राज्य-वार/पद्धति-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आंध्र प्रदेश	288	9	0	7	304
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1
3	असम	40	0	0	0	40
4	**बिहार**	**191**	**23**	**0**	**38**	**252**
5	छत्तीसगढ़	32	0	0	0	32
6	दिल्ली	83	20	0	0	103
7	गोवा	6	0	0	0	6
8	गुजरात	578	0	0	9	587
9	हरियाणा	514	4	0	0	518
10	हिमाचल प्रदेश	132	0	0	6	138
11	जम्मू और कश्मीर	8	5	0	2	15
12	झारखंड	19	0	0	8	27
13	कर्नाटक	210	0	0	12	222
14	केरल	897	4	4	0	905
15	मध्य प्रदेश	555	8	0	21	584
16	महाराष्ट्र	725	0	0	0	725
17	मणिपुर	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	85	0	0	5	90
22	पंजाब	232	0	0	0	232
23	राजस्थान	349	1	0	0	350
24	सिक्किम	2	0	0	1	3
25	तमिलनाडु	152	5	139	9	305
26	तेलंगाना	429	173	0	32	634
27	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	1416	309	0	30	1755
29	उत्तराखंड	196	0	0	0	196
30	पश्चिम बंगाल	160	5	0	160	325
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	1	0	0	0	1
33	दादरा एवं नागर हवेली	7	0	0	0	7
34	दमन और दीव	10	0	0	0	10
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	27	0	8	5	40
	कुल	**7345**	**566**	**151**	**345**	**8407**

पिछले एक वर्ष में आयुर्वेदिक औषधियों का विनिर्माण करने वाली नई कंपनियों का राज्य-वार विवरण (1.4.2020 से 31.3.2021 के दौरान)

क्र.सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	पिछले एक वर्ष में नई कंपनियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	00
2.	अरुणाचल प्रदेश	00
3.	असम	02
4.	**बिहार**	**03**
5.	छत्तीसगढ़	02
6.	गोवा	01
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	232
9.	हिमाचल प्रदेश	03
10.	जम्मू और कश्मीर	01
11.	झारखंड	04
12.	कर्नाटक	21
13.	केरल	52
14.	लक्षद्वीप	00
15.	मध्य प्रदेश	75
16.	महाराष्ट्र	21
17.	मणीपुर	00
18.	मिजोरम	00
19.	मेघालय	00
20.	नागालैंड	00
21.	ओडिशा	04
22.	पुदुचेरी	04
23.	पंजाब	30
24.	राजस्थान	00
25.	सिक्किम	00
26.	तमिलनाडु	08
27.	तेलंगाना	00
28.	त्रिपुरा	00
29.	उत्तर प्रदेश	56
30.	उत्तराखंड	29
31.	पश्चिम बंगाल	19
	कुल	**593**